

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प.4(ई) (1) (6) नियमितिकरण/अलेसे-III/4043

दिनांक :- 5/04/2022

आदेश संख्या : 568/2021-22

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नलिखित कनिष्ठ लेखाकार जिन्हें कनिष्ठ लेखाकार/त.रा.ले. संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 में सफल घोषित होने पर 02 वर्ष की अवधि हेतु कनिष्ठ लेखाकार पद पर परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति दी गई थी, का चरित्र एवं पूर्ववृत्त पुलिस सत्यापन जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने एवं सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा विभाग को प्रेषित की गई सूचना के आधार पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 34 के अन्तर्गत 02 वर्ष का परीवीक्षाकाल सफलता पूर्वक पूर्ण करने एवं कनिष्ठ लेखाकार पद का निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप स्थाईकरण/वेतन नियमितिकरण किया जाता है।

क्र. सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार (सर्वश्री)	लिक नं.	मेरिट नं.		जन्म तिथि	कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्य ग्रहण करने की तिथि	परीवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	वेतन नियमितिकरण तिथि	स्थाईकरण तिथि
			नई	पुरानी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्रशान्त तिवाडी	33359	—	3241-A	09.07.1990	14.08.2019 (मध्याह्न पूर्व)	13.08.2021	14.08.2021	14.08.2021

परीवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इन्हें पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अन्तर्गत पे-मेट्रिक्स के लेवल L-10 में वेतन तथा नियमानुसार भत्ते देय होंगे।

कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सरकार के अधीन अन्य पद पर नियमित सेवा रहते कार्यकर्ता (जिनके द्वारा परीवीक्षा अवधि में पूर्व पद का वेतन प्राप्त किया जा रहा है) का परीवीक्षा समाप्ति पर वेतन निर्धारण वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F. 15(1) FD/RULES/ 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के निर्देशानुसार राजस्थान सेवा नियम के नियम 26 के अन्तर्गत किया जावेगा।

उक्त आदेश कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2013 के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में लम्बित विभिन्न न्यायिक प्रकरणों/वादों के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगे।



(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- प.4(ई) (1) (6) नियमितिकरण/अलेसे-III/4043
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :- 5/04/2022

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
3. निजी सचिव, निदेशक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।



(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-III)